नियमावली

1. संस्था का नाम - शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय जामगांव (आर.) भरर एलूमनाई समिति.

2. संस्था का कार्यालय - मकान नंबर /केंद्र क्रमांक -308, संपर्क छात्रवृत्ति कमरा क्रमांक 1 , कॉलेज रोड , ग्राम - भरर जामगांव (आर.), तहसील - पाटन जिला - दुर्ग (छ.ग.)

3. संस्था का कार्यक्षेत्र - तहसील - पाटन जिला - दुर्ग (छ.ग.).

4. संस्था का उद्धेश्य -

1. शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय जामगांव (आर) भरर के पूर्व वर्षो में अध्ययन कर चुके नियमित छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में सदस्य के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करना एवं उन्हें एक फोरम प्रदान करना जिससे उनके ज्ञान ,अनुभव एवं योग्यता का लाभ संस्था को प्रदान किया जा सके.

2. ऐसे भूतपूर्व सदस्य एलुमनाई कहलायेंगे तथा इन सदस्यों द्वारा अनिवार्य सदस्यता शुल्क एवं स्वेच्छिक रूप से वित्तीय एवं गैर वित्तीय रूप में सहायता प्रदान करना जो महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लाभार्थ उपयोगी हो .

3. सभी पूर्व विद्यार्थियों (एलुमनाई) द्वारा संस्था की प्रगति में सक्रिय सहयोग देना.

4. सभी पूर्व विद्यार्थियों (एलुमनाई) द्वारा करियर गाइडेंस, रिसर्च, शिक्षा,नवीन उपयोगी तकनीको आदि से सम्बंधित कार्यों द्वारा संस्था के विकास में सहयोग प्रदान करना.

5. सभी पूर्व विद्यार्थियों (एलुमनाई) के द्वारा योग्यता अनुसार सेमिनार / वेबिनार, कार्यशाला एवं लेक्चर के माध्यम से शैक्षिणिक एवं व्यक्तित्व

Rekhram Sahu Amithlesh Aewtee

प्राचार्य
शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय

विकास जैसे कार्यक्रमों को करवाना जिसमे वर्तमान विद्यार्थियों को उनके ज्ञान एवं अनुभव का लाभ मिले.

6. महाविद्यालय एवं शासन के निर्देशानुसार एलुमनाई वार्षिक दिवस का आयोजन करना एवं शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना.

7. समय समय पर महाविद्यालय के कार्यों में सहयोग प्रदान करना जो शिक्षा प्रशिक्षण एवं कल्याणकारी कार्यों से संबंधित होगा .

8. महाविद्यालय के प्रतिभाशाली निर्धन विद्यार्थियों को पुरस्कार , प्रोत्साहन एवं शिक्षा में सहायता प्रदान करना .

5. सदस्यता- संस्था में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे-

(अ) **संरक्षण सदस्य** :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 1200 (एक हजार दो सौ रूपए) या अधिक एकमुश्त देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) **आजीवन सदस्य** :-जो व्यक्ति संस्था में दान के रूप में रूपये 1000/ (एक हजार रूपए)- या अधिक देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य २०० रुपये (दो सौ रुपये) भुगतान करके नियमानुसार संरक्षक सदस्य बन सकता है ।

(स) **साधारण सदस्य** :-जो पूर्व वर्षो के नियमित विद्यार्थी 50/ (पचास रूपए) . वार्षिक संस्था को सदस्यता शुल्क/चन्दे के रूप मे देंगे वह साधारण सदस्य होंगे । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है. जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के अपना सदस्यता शुल्क देय तिथि पूर्ण होने के 30 दिन के अंदर प्रदान नहीं करते उनकी सदस्यता स्वयं समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) **सम्मानीय सदस्यः**- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक मे भाग ले सकते हैं परन्तु उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

Rekhram Sahu Mithlesh Aeutee

प्राचार्य
शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय
जामगाँव (आर), भरर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

6. **सदस्यता की प्राप्ति** :-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप मे आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा । **यह आवेदन पत्र संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करवाया जा सकता है. यह ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा.**

7. **सदस्यों की योग्यता**:- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-
   (1) भारतीय नागरिक हो ।
   (2) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
   (3) समिति के उद्देश्यों एंव नियमो के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
   (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

8. **सदस्यता की समाप्ति** :- संस्था की सदस्यता निम्न लिखित स्थिति मे समाप्त हो जावेगी -
   (1) चारित्रिक दोष होने पर , पागल होने पर या मृत्यु हो जाने पर ।
   (2) समिति विरोधी कार्य करने एंव नियमावली की अवहेलना करने पर ।
   (3) संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 मे बताये अनुसार जमा न करने पर ।
   (4) त्याग पत्र देने व उसे स्वीकार होने पर ।
   (5) कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में **देनी होगी** ।

9. **सदस्यता पंजी**:-
संस्था कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे -
   (1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय.
   (2) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया हो व रसीद नं.
   (3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हो.
   (4) सदस्यों के हस्ताक्षर.

10. (अ) **साधारण सभा** :- साधारण सभा के नियम 5 (अ.ब.स.) में दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । **समिति की वार्षिक सभा माह सितम्बर में आयोजित की जायेगी** बैठक **की तिथि** , बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति **निश्चित** कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को **देगी** । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिंनाक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के **मार्गदर्शन** मे पदाधिकारियो का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

Rekhram Sahu   Mithlesh   [signature]   [signature]

प्राचार्य
शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय
जामगाँव (आर), भरर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

(ब) **प्रबंधकारिणी सभा** :- प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यो की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नही होगी ।

(स) **विशेष सभा** :- यह सभा कम से कम कुल सदस्यों की संख्या का , के 2/3 सदस्यों द्वारा विचार करने के लिए बुलाई जा सकेगी इस सभा हेतु आवेदन करने एवं उनके दर्शाये विषय के संकल्प के पारित होने पर पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजी जाएगी । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य** :-

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओ के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
(छ) बजट का अनुमोदन करना ।

12. **प्रबन्धकारिणी का गठन** :-

यदि समिति में ट्रस्टीज हो तो वह समिति के पदेन सदस्य रहेंगे । नियम 5 (अ,ब,स) मे दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर मे दर्ज हो के द्वारा बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

(1) अध्यक्ष, (2)उपाध्यक्ष (3) सचिव, (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं 2 (दो) कार्यकारिणी सदस्य होंगे .

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल** :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, कार्य करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. **प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य** :-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

Rekhram Sahu   Amithlesh   Aentee   Shubham

प्राचार्य
शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय
जामगाँव (आर), भरर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

(स) समिति एंव उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियो के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति **सर्वसम्मति से** करना ।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए ।

(च) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी ।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी ।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

15. **अध्यक्ष के अधिकार** :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठको का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार** : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार:-**

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना ।

(2) समिति की आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 500/-(पांच सौ रूपये) व्यय करने का अधिकार होगा ।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार** : सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार** : समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

Rekhram Sahu Mithlesh Aenkee

प्राचार्य
शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय
जामगाँव (आर), भरर, जिला-दुर्ग

20. **बैंक खाता** :- संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 500/- (पांच सौ) रूपये रहेगे ।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :- अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक स 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय-नियत शुल्क के साथ भेजेगी।

22. **संशोधन** :-संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संस्था के विधान मे संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी ।

23. **विघटन** :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा. विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी. उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी.

24. **सम्पत्ति**:- संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।

25. **बैंक खाता** :- संस्था की समस्त निधि का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट- ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय- समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रकिया जारी रहेगी ।

26. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना**:- संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एंव संस्थायें को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

27. **विवाद** :- संस्था में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य

Rekhram Sahu Amithlesh Aewtee

प्राचार्य
शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय
जामगाँव (आर), भरर जि.

होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

....

Rekhram Sahu

प्राचार्य
शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय
जामगाँव (आर), भरर, जिला-